[2018] 2 एस.सी.आर 991

स्वराज अभियान और अन्य

बनाम

भारत संघ और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 720/2016)

13 फरवरी, 2018

[आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधानः

अनुच्छेद 32–जनहित याचिका–छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित विसंगतियों/अनियमितताओं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बेटे से जुड़े ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह (यू. के.) में कथित बैंक खातों की जांच के लिए निर्देश की मांग करने वाली याचिका–यह आरोप कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नकली निविदा चलाकर हेलीकॉप्टर खरीदा, अतिरिक्त धन का भुगतान किया और इस प्रक्रिया में 2 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। हेलीकॉप्टर की खरीद में सरकारी खजाने को 65 लाख रुपये–हस्तक्षेप–आयोजितःनहीं बुलाया गया–राज्य सरकार को हेलीकॉप्टर खरीदने का विकल्प चुनने का अधिकार था–रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि हेलीकॉप्टर कम कीमत पर खरीदा जा सकता था–इससे बेहतर सौदा देने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया है–इस प्रकार, स्पष्ट सबूत के अभाव में कि कंपनी को कमीशन भुगतान के माध्यम से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था, जो केवल मुख्यमंत्री के बेटे को भुगतान भेजने का एक मार्ग था, इस अदालत द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया–इसके अलावा, त्रिपक्षीय समझौते में सीएजी रिपोर्ट में सौदे में किसी भी बाहरी विचार को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया–साथ ही यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि लेनदेन का लाभार्थी मुख्यमंत्री का बेटा था।अनुच्छेद 32–जनहित याचिका–न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप–कब आयोजित किया गयाःन्यायालय को वास्तविक लोक हित के स्पष्ट मुद्दे के बिना कार्यपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप के खिलाफ आगाह किया जाता है–हालाँकि, वे एक क्षेत्राधिकार प्रतिबंध नहीं बनाते हैं, यदि किसी दिए गए मामले में न्यायालय की अंतरात्मा को कुचला जाता है–जनहित के स्पष्ट तत्व के बिना याचिका/अनुच्छेद 32 पर केवल निर्णय लेने में कथित प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के कहने पर विचार नहीं किया जा सकता है, जिसे पीड़ित पक्ष द्वारा उचित मंच पर चुनौती दी जा सकती है।

रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया: 1.1 मुख्यमंत्री का बेटा व्यक्तिगत रूप से पार्टी नहीं है। पनामा पेपर्स में खुलासा एक ऐसा मामला है जिसकी 4 अप्रैल, 2016 को भारत सरकार द्वारा गठित मल्टी एजेंसी ग्रुप द्वारा अभी भी जांच की जा रही है, जिसे 4 जुलाई, 2011 के आदेश के अनुसार 2009 की रिट याचिका

(सिविल) संख्या 176 में इस अदालत द्वारा गठित विशेष जांच दल को अपनी रिपोर्ट देनी है।[पैरा 13] [1002–डी–ई]

1.2 गुण–दोष पर, जैसा कि 19 दिसंबर, 2006 को वरिष्ठ हेलीकॉप्टर इंजीनियर और मुख्य पायलट (एच) द्वारा हस्ताक्षरित तुलनात्मक विवरण में दर्शाया गया है, ए–109 पावर, बी–247 और ईसी–135 टी1 की तुलना में, वितरण अनुसूची के मापदंड, भारत में विमानों की संख्या, भारत में रखरखाव सुविधा, भारत में पुर्जों की सूची, तकनीकी प्रशिक्षित श्रमशक्ति, इंजन शक्ति, इंजन जीवन, संचालन, रखरखाव और ग्राहक सहायता और रात में संचालन ए–109 पावर के पक्ष में थे।छत्तीसगढ़ सरकार के निदेशक, विमानन को संबोधित 2 जनवरी, 2007 के पत्र से पता चलता है कि ए कंपनी स्वयं जनवरी, 2010 से पहले हल्के दोहरे इंजन वाले हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं थी।हालाँकि, इसने कहा कि इसे अगस्त/सितंबर, 2007 में वितरकों एस. ओ. कंपनी से कुल यू. एस. $6,315,000 की राशि पर सुरक्षित किया जा सकता है।इससे पहले, 29 दिसंबर, 2016 को वरिष्ठ अभियंता (एच) द्वारा सिफारिश की गई थी कि ए–109 राज्य सरकार के वी. आई. पी. संचालन के लिए उपयुक्त है।इस प्रकार, त्वरित वितरण के लिए, राज्य ने एस. ओ. कंपनी के साथ बातचीत की।अंतिम भुगतान 6,570,000 (साठ लाख पाँच सौ सत्तर हजार) का है।उक्त समझौते से पता चलता है कि एक कंपनी ने एस कंपनी को हेलीकॉप्टर मॉडल ए–109 की बिक्री के लिए 24 मई, 2006 को समझौता किया था।उक्त एस कंपनी द्वारा एस. ओ. कंपनी को बिक्री सौंपी गई थी और एस. ओ. कंपनी ने ए कंपनी को कुछ अग्रिम भुगतान किए थे।एस. ओ. कंपनी ने अपने स्वामित्व शुल्क का दावा किया था।एक कंपनी ने खुद स्पष्ट किया कि अगर डिलीवरी का समय अधिक था तो कीमत 60 लाख अमेरिकी डॉलर थी।पहले की डिलीवरी के लिए, पहले से बिक चुके हेलीकॉप्टर को इसके वितरक से अधिक कीमत पर खरीदा जा सकता था।इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि बाहरी कारण से अतिरिक्त भुगतान किया गया था।जिस कीमत पर झारखंड ने हेलीकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव रखा था, उससे तुलना की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि यह वर्ष 2005 में एक सौदा था जिस पर हेलीकॉप्टर की कीमत संबंधित समय पर उपलब्ध नहीं थी। झारखंड सौदे में कीमत यू. एस. $ 5.591 मिलियन थी और उक्त लेनदेन 5 अगस्त, 2006 का है। जाहिर है, इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि वर्तमान लेनदेन में वास्तविक मूल्य 26.10.2017 पर यू. एस. $ 5.246 मिलियन था, जब कंपनी ने स्वयं 13.03.2007 दिनांकित पत्र के माध्यम से जल्दी निपटान के लिए असमर्थता दिखाई और कहा कि यदि वितरण अवधि दो साल से अधिक थी तो कीमत US $6 मिलियन थी।[पैरा 14] [1002–ई–एच; 1003–ए–ई]

1.3 इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि राज्य सरकार को हेलीकॉप्टर खरीदने का विकल्प चुनने का अधिकार था।यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि हेलीकॉप्टर को कम कीमत पर खरीदा जा सकता था।इससे बेहतर सौदा देने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया है।इस प्रकार, स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में कि एस. ओ. कंपनी को कमीशन भुगतान के माध्यम से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था, जो केवल मुख्यमंत्री के बेटे को भुगतान भेजने का एक मार्ग था, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।छत्तीसगढ़ राज्य की एस. ओ. कंपनी और ए. कंपनी के बीच 26 अक्टूबर, 2007 को एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, जिसमें कहा गया है कि एस. ओ. कंपनी अपने द्वारा एक कंपनी को किए गए 100,000 अमेरिकी डॉलर के भुगतान को

बरकरार रखने की हकदार थी।24 मई, 2006 के समझौते का ए, जिसे एस. ओ. कंपनी के पक्ष में 13 नवंबर, 2006 के समझौते के साथ पढ़ा गया और अनुच्छेद 4.1 के तहत 1,473,800 अमेरिकी डॉलर।बी अनुबंध।कैग की रिपोर्ट में सौदे में किसी भी बाहरी विचार को शामिल नहीं किया गया है। [पैरा 15] [1003–एफ–एच; 1004–ए]

1.4 प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि लेन–देन का लाभार्थी ए. एस. था। केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोप में जाना आवश्यक नहीं है।इस न्यायालय द्वारा निर्देश जारी करने के लिए हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, जैसा कि बाहरी विचार के आरोप की पुष्टि के अभाव में मांगा गया है।[पैरा 16] [1004–बी]

> एस. पी. गुप्ता बनाम भारत संघ (1981) पूरक एस. सी. सी. 87; जनता दल बनाम एच. एस. चौधरी (1992) 4 एससीसी 305:[1992] 1 पूरक।एससीआर 226; राजीव रंजन सिंह 'ललन'(VIII) बनाम भारत संघ (2006) 6 एस. सी. सी. 613: [2006] 4 पूरक।एस. सी. आर. 742; अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2004) 3 एस. सी. सी. 349:[2003] 5 पूरक।एससीआर 716; कुंगा निमा लेप्चा बनाम सिक्किम राज्य (2010) 4 एस. सी. सी.एच. 513 :[2010] 3 एस. सी. आर. 787; किशोर समरिते बनाम राज्य यूपी (2013) 2 एससीसी 398:[2012] 9 एससीआर 733;अलगापुरम आर. मोहनराज बनाम टी. एन. विधान सभा(2016) 6 एससीसी 82:[2016] 6 एससीआर 611; संतोष सिंह बनाम भारत संघ (2016) 8 एससीसी 253:[2016] 5 एस. सी. आर. 761– संदर्भित।

1.5 न्यायालय को वास्तविक जनहित के स्पष्ट मुद्दे के बिना कार्यपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप के खिलाफ आगाह किया जाता है।हालाँकि, यदि किसी मामले में न्यायालय की अंतरात्मा को ठेस पहुँचती है, तो वे एक क्षेत्राधिकार संबंधी प्रतिबंध नहीं बनाते हैं।अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका, जनहित के स्पष्ट तत्व के बिना, केवल निर्णय लेने में एक कथित प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के कहने पर विचार नहीं किया जा सकता है, जिसे पीड़ित पक्ष द्वारा उचित मंच पर चुनौती दी जा सकती है।याचिकाओं में मांगी गई प्रार्थना करने का कोई आधार नहीं है।[पैरा 17] [1004–डी–एफ]

निर्णीत विधि संदर्भ

(1981) अनुपूरक एस.सी.सी 87	संदर्भित	पैरा 16
[1992] 1 अनुपूरक एस.सी.आर 226	संदर्भित	पैरा 16
[2006] 4 अनुपूरक एस.सी.आर 742	संदर्भित	पैरा 16
[2003] 5 अनुपूरक एस.सी.आर 716	संदर्भित	पैरा 16

[2010] 3 एस.सी.आर 787	संदर्भित	पैरा 16
[2012] 9 एस.सी.आर 733	संदर्भित	पैरा 16
[2016] 6 एस.सी.आर 611	संदर्भित	पैरा 16
[2016] 5 एस.सी.आर 761	संदर्भित	पैरा 16

सिविल मूल अधिकारिता: रिट याचिका (सिविल) संख्या 720/2016

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत

रिट याचिका (सिविल) संख्या 753 और 973/2016

याचिकाकर्ताओं की ओर से संजय आर. हेगड़े, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशांत भूषण, सुश्री नेहा राठी, सुदीप श्रीवास्तव, देवेश अग्निहोत्री, पुखरंबम रमेश कुमार और सुश्री राहत शर्मा, अधिवक्ता।

महेश जेठमलानी, वी. मोहना, वरिष्ठ अधिवक्ता।, तुषार मेहता और सुश्री पिंकी आनंद, ए. एस. जी., अपूर्व कुरुप, ए. सी. बॉक्सीपेट्रो, सुश्री साक्षी कक्कड़, रवि शर्मा, रजत नायर, कानू अग्रवाला, मुकुल सिंह, बालेन्द्र शेखर, हेमंत आर्य और बी. वी. बलराम दास, अधिवक्ता।, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति, आदर्श कुमार गोयल द्वारा सुनाया गया

इस आदेश द्वारा लिखित याचिका (सिविल) संख्या 720,753 और 973/ 2016 का निपटारा किया जाएगा। तीनों रिट याचिकाओं में एक ही मुद्दा शामिल है।2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 720 एक राजनीतिक दल स्वराज अभियान द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 के साथ दायर की गई है, जिसे एन. जी. ओ. का पदाधिकारी कहा जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ए–109 बिजली ई–हेलीकॉप्टर की खरीद और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बेटे से जुड़े ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह (यू. के.) में कथित बैंक खातों की जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।मुख्यमंत्री का उक्त पुत्र याचिका में पक्षकार नहीं है।

2. याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने 26 अक्टूबर, 2017 को शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के साथ एक समझौता किया और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना एक हेलीकॉप्टर का अधिग्रहण किया और सरकार को नुकसान पहुंचाया।यह भी आरोप लगाया गया है कि उक्त खरीद के लिए सरकार द्वारा थोक भुगतान किए जाने के 6 महीने बाद मुख्यमंत्री के बेटे ने खाता खोला था। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (आईसीआईजे) द्वारा संकलित डेटाबेस में अभिषेक सिंह को क्वेस्ट हाइट्स लिमिटेड (3.7.2008 पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में निगमित)

और शेयरकॉर्प लिमिटेड के शेयरधारक के रूप में दिखाया गया है।कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि हेलीकॉप्टर की खरीद में सरकारी खजाने को 1 लाख का नुकसान हुआ था।

3. छत्तीसगढ़ विधानसभा के विपक्ष के नेता और एक पत्रिका के प्रकाशक द्वारा 2016 की रिट याचिका (सिविल) No.753 संयुक्त रूप से दायर की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और झारखंड राज्यों के हेलीकॉप्टर खरीद सौदों की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

4. श्री राकेश कुमार चौबे द्वारा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करते हुए 2016 की रिट याचिका (सिविल) No.973 दायर की गई है, जिसमें अभिषेक सिंह की ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड कंपनियों और शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स, ओएसएस एयर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अगस्त वेस्टलैंड से रिश्वत प्राप्त करने में इन कंपनियों के संबंधों की जांच करने और छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा हेलीकॉप्टर की खरीद की भी जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

5. पहली याचिका की एक प्रति केंद्रीय एजेंसी को देने का निर्देश दिया गया था ताकि भारत संघ पेश हो सके।जैसा कि 2 दिसंबर, 2016 के आदेश में दर्ज किया गया है, विद्वान महान्यायवादी ने आपत्ति जताई कि यह मुद्दा राजनीतिक मामलों को निपटाने के लिए एक जनहित याचिका की आड़ में राजनीतिक प्रकृति का था।पुनः, 19 अप्रैल, 2017 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने कहा कि महान्यायवादी की उक्त आपत्ति पर पहले सुनवाई की आवश्यकता है।

6. हालाँकि, बाद की तारीख में, इस न्यायालय का विचार था कि महान्यायवादी की आपत्ति इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं करती है और मामले पर गुण–दोष के आधार पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए छत्तीसगढ़ राज्य ने जवाबी हलफनामा दायर किया, मूल फाइलें प्रस्तुत कीं और उसी की फोटोकॉपी भी दायर की।एक जवाबी हलफनामा भी दायर किया गया है।

7. हमने 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 720 और 753 में याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री प्रशांत भूषण, 2016 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 973 में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय आर. हेगड़े, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश जेठमलानी, ए. एस. जी. श्री तुषार मेहता और भारत संघ के लिए ए. एस. जी. सुश्री पिंकी आनंद की ओर से पेश होते हुए सुना है।

8. हमने अभिलेख का अवलोकन किया है और याचिकाकर्ताओं के इस कथन पर विचार किया है कि हेलीकॉप्टर को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक नकली निविदा जारी करके खरीदा गया था और इस प्रक्रिया में सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था।हमने इस तर्क पर भी विचार किया है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पुत्र अभिषेक सिंह लेनदेन में लाभार्थी हो सकते हैं।

9. श्री जेठमलानी ने अभिलेख के संदर्भ में तथ्यात्मक स्थिति की व्याख्या की।उन्होंने कहा कि वर्ष 2002 में छत्तीसगढ़ राज्य ने एक यूरोकॉप्टर (ईसी 135) खरीदा था जो 14 जुलाई, 2007 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अनुपयोगी हो गया।दुखद दुर्घटना से पहले, 19 दिसंबर, 2006 को राज्य

के विमानन विभाग के मुख्य पायलट और गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक ने एक "दोहरे इंजन वाले हेलीकॉप्टर" की खरीद की सिफारिश की थी, जो बीच रास्ते में ईंधन भरे बिना राज्य भर में अधिकतम ईंधन भार के साथ कम से कम चार यात्रियों को ले जा सकता है और अभी भी पर्याप्त बिजली मार्जिन, कुशल प्रदर्शन और कम से कम रखरखाव लागत के साथ।यह चरमपंथियों की हिंसा से प्रभावित राज्य की सुरक्षा चिंताओं को पूरा करने के लिए था।यह प्रस्ताव मौजूदा हेलीकॉप्टर के रखरखाव की उच्च लागत के कारण भी था।राज्य ने 6 जनवरी, 2007 को एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव (विमानन), मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और प्रधान सचिव (वित्त) इस मामले में एक सूचित निर्णय लेंगे।समिति ने 12 जनवरी, 2007 को अगस्ता ए–109 पावर हेलीकॉप्टर की खरीद की सिफारिश की थी।राज्य और अगस्ता के बीच पत्राचार का आदान–प्रदान किया गया।अगस्ता ने 27 जनवरी, 2007 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि कंपनी 2009 के मध्य तक ए–109 पावर हेलीकॉप्टर की डिलीवरी दे सकती है।इसकी कीमत 60 लाख अमेरिकी डॉलर के क्षेत्र में होगी।हालांकि, अगर राज्य जल्दी डिलीवरी चाहता था, तो कंपनी ने पहले ही कुछ हेलीकॉप्टर एम/एस शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, हांगकांग क्षेत्र के अपने डीलरों को पहले ही बेच दिए थे, जिनसे संपर्क किया जा सकता था।भारत में कंपनी के सेवा प्रदाता श्री वी. कृष्णन थे, जो इस संबंध में सहायता कर सकते थे।

10. तदनुसार, राज्य का एक प्रतिनिधिमंडल हांगकांग गया और मैसर्स शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, हांगकांग के साथ बातचीत की और 15 फरवरी, 2007 को इस आशय की अपनी रिपोर्ट दी कि हेलीकॉप्टर की आपूर्ति बातचीत की शर्तों पर छह महीने में 60 लाख अमेरिकी डॉलर में की जा सकती है।इसके बाद, 4 अप्रैल, 2007 को विमानन निदेशक द्वारा एक नोट रखा गया कि सबसे पहले 2005 की कीमत (लगभग Rs.24 करोड़) पर हेलीकॉप्टर प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। चूंकि यह प्रस्ताव दिनांकित 5.4.2007 के पत्र के रूप में अमल में नहीं आ सका, इसलिए ओएसएस एयर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि 60 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक की सेवाओं की कीमत अंतिम कीमत थी, वैश्विक निविदा प्रकाशित की गई थी।तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए और 7 जुलाई, 2007 को मूल्यांकन के बाद उच्च स्तरीय समिति ने मेसर्स शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत निविदा को स्वीकार करने की सिफारिश की, बशर्ते कि दिसंबर, 2007 तक वितरण किया जा सके।तदनुसार एक निर्णय लिया गया और खरीद आदेश दिया गया और उसके बाद डिलीवरी प्रभावित हुई।भुगतान इस प्रकार किए गए थेः

"(क) शार्प ओशन को यू. एस. डी. 1,324,000 (i) अगस्ता द्वारा खरीदार को हेलीकॉप्टर की बिक्री की खरीद पर विचार करना और बिक्री अनुबंध के तहत शार्प के अधिकार खरीदार को सौंपना, हस्तांतरित करना और सौंपना।

(ख) शार्प ओशन को उस धन की प्रतिपूर्ति के रूप में यू. एस. डी. 1,573,800 जो शार्प पहले ही बिक्री अनुबंध के अनुसार हेलीकॉप्टर के खरीदार के प्रति आंशिक विचार के रूप में अगस्त को भुगतान कर चुका है।

(ग) हेलीकॉप्टर की निर्धारित स्वीकृति के समय शेष राशि के रूप में अगस्त को यू. एस. डी. 3,672,200।"

11. उपरोक्त के समर्थन में, निम्नलिखित दस्तावेजों को संदर्भित किया गया है:

19 दिसंबर, 2006 का दस्तावेज़

लाइट ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर का तुलनात्मक विवरण

एस. नहीं।	पैरामीटर	इकाइयाँ	ए–109 पावर	बी–427	ईसी–135
1	वितरण अनुसूची	महीनों	18–24	12–18	18–24
2	भारत में विमान No.of		4	नील	1
3	भारत में रखरखाव सुविधा		उपलब्ध है।	नील	नील
4	भारत में पुर्जों की सूची		आयोजित किया गया	आयोजित नहीं किया गया	आयोजित किया गया
5	तकनीकी प्रशिक्षित एम. ए. एन. पावर		हां।	नहीं।	कम करें।
6	इंजन की शक्ति	एसएचपी	900	800	826
7	इंजन जीवन	एचआरएस	3500	3000	3000
8	संचालन, रखरखाव और ग्राहक सहायता		उपलब्ध है।	उपलब्ध नहीं है।	उपलब्ध न
9	ऑपरेशन एट नाइट		हां।	नहीं।	हां।

29 दिसंबर, 2006 का दस्तावेज़

"वर्तमान में केवल तीन हेलीकॉप्टर हल्के दोहरे इंजन श्रेणी में बाजार में अग्रणी हैं जिनका उपयोग राज्य सरकार द्वारा वी. आई. पी. संचालन के लिए किया जा सकता है।

इन तीन हेलीकॉप्टरों में से ईसी–135 का उपयोग पहले से ही छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया जा रहा है।

शर्तें।बेल 427 में हमारी राज्य सरकार के लिए आवश्यक संचालन के लिए भी कुछ सीमाएँ हैं। बेल 427 एक वी. एफ. आर. श्रेणी का हेलीकॉप्टर है, जो केवल दिन की रोशनी में काम कर सकता है और सूर्यास्त के बाद उड़ नहीं सकता है।इसलिए, राज्य सरकार के लिए वी. आई. पी. संचालन के लिए हेलीकॉप्टर की उपयुक्तता और तकनीकी डेटा प्रदर्शन को देखते हुए अगस्त ए–109 राज्य सरकार के लिए सबसे उपयुक्त है। वी. आई. पी. ऑपरेशन। कृपया आपके संदर्भ के लिए तकनीकी जानकारी तुलना विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

गौरी शंकर गोदारा

सीनियर इंजीनियर (हेलीकॉप्टर) "

2 जनवरी, 2007 का दस्तावेज़

"... ... ... जैसा कि आप जानते हैं, विश्व हेलीकॉप्टर बाजार बेहद तंग है और अगस्ता सहित निर्माता जनवरी, 2010 से पहले हल्के दो इंजन वाले हेलीकॉप्टर देने की स्थिति में नहीं हैं।हालाँकि, हम भारत में अगस्ता के लिए सेवा प्रदाता के रूप में अगस्त/सितंबर 2007 में ही उनके वितरक मेसर्स शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, हांगकांग, जिन्होंने इस मशीन को पहले से खरीदा है, से 6 सीटों वाले वी. आई. पी. एलीट कॉन्फ़िगरेशन में ए–109 पावर हेलीकॉप्टर की डिलीवरी सुनिश्चित करने की स्थिति में हैं।खरीद मूल्य इस प्रकार होगाः

अगस्ता वेस्टलैंड, इटली को देय राशि अमेरिकी डॉलर 3,673,000 मेसर्स शार्प ओशन को देय राशि

इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, हांगकांग

अमेरिकी डॉलर 2,642,000

कुल देय राशि

अमेरिकी डॉलर 6,315,000

भुगतान अनुसूचीः

31 जनवरी, 2007 को या उससे पहले ऑर्डर प्लेसमेंट/अनुबंध हस्ताक्षर के समय मैसर्स शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, हांगकांग को अमेरिकी डॉलर 2,642,000 का डाउन पेमेंट।यू. एस. डॉलर 3,673,000 की शेष राशि अगस्त एस. पी. को देय होगी।ए. अगस्त 2007 में मिलान, इटली में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर की "स्वीकृति" के समय इटली।

चालान मूल्य

निर्माता को देय–अगस्ता वेस्टलैंड, इटली की ओरःहेलीकॉप्टर की कीमत

अमेरिकी डॉलर 5,131,000

सेवाएँ *

115, 000 अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर 5,246,000 मेसर्स शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स को देय

लिमिटेड हांगकांग की ओरः

अमेरिकी डॉलर 1,069,000

प्री–बुकिंग लागत

कुल

अमेरिकी डॉलर 6,315,000

= = = = = = = = = = = * हस्तांतरण से पहले भारत में पृथक्करण; पैकिंग और संरक्षण; माल ढुलाई; बीमा; पुनः संयोजन और परीक्षण उड़ान शामिल हैं।

डी.

हेलीकॉप्टर का चालान अगस्त वेस्टलैंड द्वारा सीधे छत्तीसगढ़ सरकार को दिया जाएगा।डाउन पेमेंट के साथ कन्फर्म ऑर्डर को 31 जनवरी, 2007 को या उससे पहले जारी करना होगा।"

ई.

13 मार्च, 2007 का दस्तावेज़

"अगस्ता वेस्टलैंड

एक फिनमेकेनिका कंपनी

निदेशक विमानन

छत्तीसगढ़ रायपुर सरकार

भारत

प्रिय महोदयः

भारत में हमारे सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधि श्री वी. कृष्णन ने 22 दिसंबर, 2006 को आपसे मुलाकात की थी, जब उन्होंने आपकी आवश्यकताओं के लिए हमारे हेलीकॉप्टरों–एडब्ल्यू 139 और ए 109 पावर की उपयुक्तता पर एक प्रस्तुति दी थी।

इस संबंध में, हम आज आपके ई–मेल के जवाब में निम्नलिखित जानकारी की पुष्टि करते हैंः

(क) ए 109 पावर के लिए हम कंपनी से सबसे पहले डिलीवरी की पेशकश कर सकते हैं जो आज 2009 के मध्य में है।

(ख) आप जिस एलीट कॉन्फ़िगरेशन की तलाश कर रहे हैं, उसके लिए रॉम की कीमत 60 लाख अमेरिकी डॉलर के क्षेत्र में होगी।(ग) बुकिंग के समय प्रारंभिक जमा राशि 100,000 अमेरिकी डॉलर होगी।डाउन पेमेंट अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर देय 30 प्रतिशत के बराबर होगा या आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए जो भी पहले आए।70 प्रतिशत का अंतिम भुगतान मिलान में हेलीकॉप्टर की "स्वीकृति" के समय होगा।

यदि आप जल्दी डिलीवरी की तलाश कर रहे हैं, तो कृपया ध्यान दें कि हमने आपके क्षेत्र मेसर्स शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, 1402, वन डुडेल स्ट्रीट, सेंट्रल, हांगकांग के लिए अपने डीलरों को कुछ हेलीकॉप्टर पहले ही बेच दिए हैं, जो आपको भारत में अपने ग्राहकों की ओर से बुक किए गए हेलीकॉप्टरों की पहले डिलीवरी की पेशकश करने की स्थिति में होंगे।भारत में हमारे सेवा प्रदाता प्रतिनिधि श्री वी. कृष्णन (मोबाइल + 91 98183 55544) इस संबंध में आपकी सहायता कर सकते हैं।

आभार व्यक्त करते हैं।

आपकी ईमानदारी से,

अम्बर्टो फॉन्टानेला

क्षेत्र प्रमुख

अगस्ता वेस्टलैंड "

सीएजी की रिपोर्ट

" नियत तिथि तक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने में विफल रहने के बाद, सरकार ने अगस्त ए 109 पावर हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए एक वैश्विक निविदा (मई 2007) जारी की।प्राप्त पाँच बोलियों में से, मंत्रिमंडल ने उसी हांगकांग स्थित डीलर की बोली (अगस्त 2007) को मंजूरी दी, जिसने पहले हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करने की पेशकश की थी, और (अक्टूबर 2007) अमेरिकी डॉलर 65.70 लाख (रु। प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार 25.96 करोड़)।हेलीकॉप्टर की आपूर्ति थी दिसंबर 2007 में प्राप्त हुआ और रु। 25.96 करोड़ बनाया गया था।इस प्रकार, पहली बार में नए हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए नियत तारीख तक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर निर्णय लेने में टालने योग्य देरी के कारण, सरकार को उसी डीलर से उसी हेलीकॉप्टर मॉडल को Rs.65 लाख की अतिरिक्त लागत पर खरीदना पड़ा। 25.96 करोड़–रु। 25.31 करोड़) जैसा कि परिशिष्ट–2.1 में विस्तृत है।

12. याचिकाकर्ताओं की ओर से आपत्ति यह है कि तीनों प्रस्तावों में बातचीत करने वाला एक ही व्यक्ति था।अन्य हेलीकॉप्टरों पर विचार नहीं किया गया।मुख्यमंत्री के बेटे को लाभ पहुँचाने के लिए अतिरिक्त कीमत चुकाई गई।सवाल यह है कि क्या आरोपों की पुष्टि होती है।भले ही प्रस्तुत करने के लिए शुरू में विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है, जिसके कारण राज्य को रिकॉर्ड प्रस्तुत करने और उचित विचार के बाद स्थिति की व्याख्या करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना मुश्किल लगता है।

13. मुख्यमंत्री का बेटा व्यक्तिगत रूप से पार्टी नहीं है।पनामा पेपर्स में खुलासा एक ऐसा मामला है जिसकी 4 अप्रैल, 2016 को भारत सरकार द्वारा गठित मल्टी एजेंसी ग्रुप द्वारा अभी भी जांच की जा रही है, जिसे 4 जुलाई, 2011 के आदेश के अनुसार इस अदालत द्वारा गठित विशेष जांच दल को अपनी रिपोर्ट देनी है।

14. गुण–दोष के आधार पर, जैसा कि 19 दिसंबर, 2006 को वरिष्ठ हेलीकॉप्टर इंजीनियर और मुख्य पायलट (एच) द्वारा हस्ताक्षरित तुलनात्मक विवरण में दर्शाया गया है, ए–109 पावर, बी–247 और ईसी–135 टी1 की तुलना में, वितरण अनुसूची के मापदंड, भारत में विमानों की संख्या, भारत में रखरखाव सुविधा, भारत में पुर्जों की सूची, तकनीकी प्रशिक्षित श्रमशक्ति, इंजन शक्ति, इंजन जीवन, संचालन, रखरखाव और ग्राहक सहायता और रात में संचालन ए–109 पावर के पक्ष में थे। छत्तीसगढ़ सरकार के निदेशक, विमानन को संबोधित 2 जनवरी, 2007 के पत्र से पता चलता है कि अगस्ता स्वयं जनवरी, 2010 से पहले हल्के दोहरे इंजन वाले हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं था।हालांकि, इसने कहा कि इसे अगस्त/सितंबर, 2007 में वितरक मेसर्स शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, हांगकांग से कुल अमेरिकी डॉलर 6,315,000 की राशि पर सुरक्षित किया जा सकता है।इससे पहले, 29 दिसंबर, 2016 को वरिष्ठ अभियंता (एच) द्वारा सिफारिश की गई थी कि अगस्त ए–109 राज्य सरकार के वी. आई. पी. संचालन के लिए उपयुक्त है।

1 इस मुद्दे पर 2016 ए के डब्ल्यू. पी. No.65 में 9 अक्टूबर, 2017 के इस न्यायालय के आदेश में विचार किया गया है।

इस प्रकार, त्वरित वितरण के लिए, राज्य ने मैसर्स शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के साथ बातचीत की।अंतिम भुगतान 6,570,000 (साठ लाख पाँच सौ सत्तर हजार) का है।यह तर्क कि हेलीकॉप्टर की कीमत यू. एस. $5,246,000 थी जैसा कि 30 अक्टूबर, 2007 के अगस्त वेस्टलैंड के चालान में दिखाया गया है और इस प्रकार, शेष राशि कमीशन के रूप में थी, 9 अक्टूबर, 2007 के समझौते की सामग्री और पत्राचार को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है।उक्त समझौते से पता चलता है कि अगस्ता ने 24 मई, 2006 को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लिमिटेड को अगस्ता हेलीकॉप्टर मॉडल ए–109 की बिक्री के लिए समझौता किया था।यह बिक्री उक्त सीरम द्वारा शार्प को सौंपी गई थी और शार्प ने अगस्ता को कुछ अग्रिम भुगतान किए थे।शार्प ने अपने कब्जे के आरोपों का दावा किया था।अगस्ता ने खुद स्पष्ट किया कि अगर डिलीवरी का समय अधिक था तो कीमत 60 लाख अमेरिकी डॉलर थी।पहले की डिलीवरी के लिए, पहले से बेचे गए हेलीकॉप्टर को इसके वितरक से अधिक कीमत पर खरीदा जा सकता था।इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि बाहरी कारण से अतिरिक्त भुगतान किया गया था।जिस कीमत पर झारखंड ने हेलीकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव रखा था, उससे तुलना की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि यह वर्ष 2005 में एक सौदा था, जिस कीमत पर हेलीकॉप्टर प्रासंगिक समय पर उपलब्ध नहीं था, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था।झारखंड सौदे में कीमत यू. एस. $<आई. डी. 1 मिलियन थी और उक्त लेनदेन 5 अगस्त, 2006 का है।जाहिर है, इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है कि वर्तमान लेन–देन में वास्तविक मूल्य 26 अक्टूबर, 2017 को यू. एस. $<आई. डी. 1 मिलियन था, जब कंपनी ने स्वयं 13 मार्च, 2007 के पत्र के माध्यम से जल्दी निपटान के लिए असमर्थता दिखाई और कहा कि यदि वितरण अवधि दो साल से अधिक थी तो कीमत यू. एस. $6 मिलियन थी।

15. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता कि राज्य सरकार को हेलीकॉप्टर खरीदने का विकल्प चुनने का अधिकार था।यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि हेलीकॉप्टर को कम कीमत पर खरीदा जा सकता था।इससे बेहतर सौदा देने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया है।इस प्रकार, स्पष्ट साक्ष्य के अभाव में कि शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को कमीशन भुगतान के माध्यम से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ था, जो केवल मुख्यमंत्री के बेटे को भुगतान भेजने का एक मार्ग था, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य और अगस्ता के बीच 26 अक्टूबर, 2007 को एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है, जिसमें कहा गया है कि शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड अपने द्वारा अगस्ता को किए गए 100,000 अमेरिकी डॉलर के भुगतान को बरकरार रखने का हकदार था (24 मई, 2006 के समझौते के अनुच्छेद 4. ए के अनुसार जिसे शार्प ओशन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के पक्ष में 13 नवंबर, 2006 के समझौते के साथ पढ़ा गया) और अनुच्छेद 4 के तहत 1,473,800 अमेरिकी डॉलर।बी अनुबंध।कैग की रिपोर्ट में सौदे में किसी भी बाहरी विचार को शामिल नहीं किया गया है।

16. प्रथम दृष्टया यह मानने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि लेन–देन का लाभार्थी अभिषेक सिंह था। हम केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आरोप में जाना आवश्यक नहीं समझते हैं।हम मोटे तौर पर पाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा निर्देश जारी करने के लिए हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है, जैसा कि बाहरी विचार के आरोप की पुष्टि के अभाव में मांगा गया है।

17. गुण–दोष पर विचार करने के बाद, हमें प्रत्यर्थियों की ओर से उठाई गई आपत्ति में जाने की आवश्यकता नहीं है कि याचिका राजनीतिक लाभ के लिए थी और एस. पी. गुप्ता बनाम यूनियन को देखते हुए इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

भारत का 2, जनता दल बनाम एच. एस. चौधरी 3, राजीव रंजन सिंह 'ललन' (VIII) बनाम भारत संघ 4, अशोक कुमार पांडे बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 5, कुंगा निमा लेप्चा बनाम सिक्किम राज्य 6, किशोर समरीत बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 7, अलगापुरम आर. मोहनराज बनाम टी. एन. विधानसभा 8 और संतोष सिंह बनाम केंद्र

भारत का 9.वास्तविक लोक हित के स्पष्ट मुद्दे के बिना कार्यपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप के खिलाफ न्यायालय को आगाह करने वाले उक्त निर्णयों में उल्लिखित कानूनी स्थिति के बारे में कोई संदेह नहीं है।हालांकि, वे एक क्षेत्राधिकार प्रतिबंध नहीं बनाते हैं, अगर किसी दिए गए मामले में न्यायालय की अंतरात्मा को ठेस पहुंचती है।अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका, जनहित के स्पष्ट तत्व के बिना, केवल निर्णय लेने में एक कथित प्रक्रियात्मक अनियमितता के कारण एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के कहने पर विचार नहीं किया जा सकता है, जिसे पीड़ित पक्ष द्वारा उचित मंच पर चुनौती दी जा सकती है।

तदनुसार, हम प्रार्थना करने के लिए कोई आधार नहीं पाते हैं जैसा कि याचिकाओं में मांगी गई है जो इसके द्वारा खारिज की जाती हैं।खर्चे की बाबत कोई आदेश नहीं |

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।